

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2729
जिसका उत्तर मंगलवार, 02 अगस्त, 2016 को दिया जाएगा
एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण

2729. डॉ. उदित राज:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) में कोई पंजीकृत एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन प्रचालित है और इसके प्रबंधन से पंजीकृत है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके पदाधिकारियों का चुनाव अंतिम बार किस तिथि को हुआ था; और
- (ग) क्या बीआईएस में एससी/एसटी सैल प्रचालित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री सी. आर. चौधरी)

- (क): जी, हां। भारतीय मानक ब्यूरो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संगठन 1860 के सोसायटी अधिनियम, XXI के अंतर्गत पंजीकृत है और उसकी पंजीकरण संख्या एस-16839 है।
किसी सेवा संगठन को, सी.सी.एस. (आर.एस.ए.) नियम, 1993 के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, संगठन ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं दिया है।
- (ख): उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, संगठन ने अपने दिनांक 14.11.2007 के पत्र द्वारा सूचित किया था कि उन्होंने अपनी आम सभा की बैठक में पदाधारियों को मनोनीत किया है।
इसके अतिरिक्त, संगठन ने यह सूचना भी दी है कि संगठन का चुनाव जो 16.10.2015 को होना निर्धारित हुआ था, को अपेक्षित कोरम पूरा न हो पाने के कारण निरस्त कर दिया गया था।
- (ग): जी, हां। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए सभी मामलों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष कार्य कर रहा है। ब्यूरो में, इस कक्ष द्वारा - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के सभी संवर्गों के आरक्षण रोस्टर के रख-रखाव, नियुक्तियों और पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के नियम का प्रभावी कार्यान्वयन, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में जारी आदेशों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों का प्रभावी अनुपालन जैसी गतिविधियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं।
